**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 619 का उत्‍तर**

**रेलगाड़ियों में फ्लैक्सी किराया योजना को खत्म किया जाना**

**619. डा. प्रभाकर कोरेः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलगाड़ियों के लिए फ्लैक्सी किराया व्यवस्था को खत्म करने का विचार रखती है क्योंकि इससे यात्रा के अन्य माध्यमों की तुलना में रेल किराया महंगा होने से यात्री इससे दूर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत रेलगाड़ियों का चयन किए जाने के मानदंड क्या हैं तथा इस प्रस्तावित योजना के तहत कितनी रेलगाड़ियों को शामिल किया जाना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरे सहित इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

रेलगाड़ियों में फ्लैक्सी किराया योजना को खत्म किया जाने के संबंध में दिनांक 14.12.2018 को राज्‍य सभा में डा. प्रभाकर कोरेके अतारांकित प्रश्‍न सं. 619 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ग): सितम्बर 2016 से जून 2018 (फ्लैक्सी अवधि) की अवधि में पिछले वर्षों की तदनुरूपी अवधि (गैर-फ्लैक्सी अवधि) की तुलना में फ्लैक्सी फेयर वाली गाड़ियों में बुक किए गए यात्रियों की संख्या में 1.37% और आमदनी में 19.22% की वृद्धि दर्ज की गई ।

किरायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा अधिभोगिता में वृद्धि करने के लिए राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों में फ्लैक्सी किराया योजना को निम्न प्रकार से युक्तिसंगत किया गया है:-

(i) पूरे वर्ष के लिए 15 गाड़ियों से फ्लैक्सी किराया योजना को समाप्त किया गया है जिनमें अधिभोगिता पिछले समूचे वर्ष के दौरान 50% से कम थी।

(ii) पूरे वर्ष के लिए और तीन महीनों (फरवरी, मार्च और अगस्त( की पूर्व निर्धारित मंदी की अवधि के दौरान32 गाड़ियों से फ्लैक्सी किराया योजना को समाप्त किया गया है जिनमें मासिक अधिभोगिता पिछले समूचे वर्ष के दौरान 50% से 75% के बीच थी।

(iii) सभी फ्लैक्सी किराया वाली श्रेणियों में फ्लैक्सी किराया योजना की अधिकतम सीमा को 1.4 गुणा तक घटाया गया है।

(iv) फ्लैक्सी किराया वाली गाड़ियों और हमसफर गाड़ियों जिनमें गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 दिन पहले श्रेणी-वार अधिभोगिता 60% से कम है, में निम्नानुसार ग्रेड-वार छूट दी गयी है:-

|  |  |
| --- | --- |
| अधिभोगिता | छूट |
| 70% तक | पिछले किराए पर 20%  |
| 70% से 80% | पिछले किराए पर 10% |
| 80% से अधिक  | कोई नहीं  |

उक्त बदलाव 15.03.2019 से आरंभ होने वाली यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए लागू किए गए हैं।

\*\*\*\*\*